न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 65/2020/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. भागूबाई पत्नि प्रभूलाल जाति बागरी नि. हनोतिया कोटडी तहसील पिडावा

– प्रार्थीया

बनाम

1. कुशालबाई पत्नि बद्रीलाल जाति बागरी नि. हनोतियां कोटडी तहसील पिडावा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री नील कमल त्रिवेदी

आदेश दिनांक : 26/07/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ओर से धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सारंगाखेडा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 223 किता 2 रकबा 0.6196 हेक्टर आराजी को प्रार्थीया ने खातेदार माधूलाल, दरयावलाल, मीनाबाई पिस. भगवान बलाई नि. सारंगाखेडा से दिनांक 27.11.2007 को रजिस्टर्ड बयनामें से खरीद की थी जिसका नामान्तरण संख्या 569 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया जिसमें 1/2 हिस्से से नामान्तरण तस्दीक हो जाने से प्रार्थिया के खाते 1/2 हिस्सा आराजी ही दर्ज हुई जबकि प्रार्थीया ने सम्पूर्ण आराजी कय की थी। प्रार्थीया का खरीद दिनांक से उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में किया गया बाद का बयनामा आरम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। अप्रार्थी सं. 1 के खाते में गलत तरीके से वादग्रस्त आराजी दर्ज हुई है एवं इसका नाजायज फायदा उठाकर वह इस आराजी को बेचान हस्तानान्तरण करने पर आमदा है।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थिया ने वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड बयनामें से खरीद किया है एवं सुविधा का संतुलन भी

COMPLY 2024

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थिया विवादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रही है एवं अपरिमित क्षति की संभावना भी प्रार्थीया की है क्योंकि यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये और गलत तरीके से अपने नाम दर्ज हुई 1/2 हिस्से की आराजी को रहन बेचान हस्तानतरण कर दिया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम सारंगाखेडा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 223 किता 2 रकबा 0.6196 हेक्टर भूमि के 1/2 हिस्से को रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे एवं प्रार्थिया के कब्जे काश्त में कोई दखल नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सारंगाखेडा की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 223 की नकल, नामा.सं. 569, 591 की नकल एवं रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 27.11.2007 एवं बेचान पत्र दिनांक 17.12.2008 की प्रति प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री रमीज रजा कुरेशी ने वकालातनामा प्रस्तुत किया परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया जिससे जवाब अवसर बंद किया गया।

वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम सारंगाखेडा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 223 किता 2 रकबा 0.6196 हेक्टर भूमि प्रार्थीया ने खातेदार माधूलाल, दरयावलाल, मीनाबाई पिस. भगवान बलाई नि. सारंगाखेडा से दिनांक 27.11.2007 को रजिस्टर्ड बयनामें से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामान्तरण संख्या 569 दर्ज किया गया परन्तु वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी खरीद करने के बावजूद प्रार्थिया के खाते 1/2 हिस्सा आराजी ही दर्ज की गई जो कि सही नहीं है।

आदेश

इस प्रकार प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया केस प्रतीत होता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना प्रार्थिया को होगी। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

(6)

पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम सारंगाखेड़ा तहसील पिड़ावा की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 223 किता 2 रकबा 0.8196 हेक्टर भूमि के 1/2 हिस्से को रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे एवं प्रार्थिया के कब्जे काश्त में कोई दखल नहीं करे।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner